

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

श्री कपिल कुमार, प्रधानाचार्य राउमावि छोटी छापरी, मोलासर (219764) जिला नागौर का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्थानान्तरण/वो-2 दिनांक 29.09.2021 द्वारा श्रीमती तुलसीबाई रतनचंद राउमावि इटन्द्रा मेडतियान (221413) जिला पाली एवं श्री सज्जन सिंह कुल्हार, प्रधानाचार्य श्रीमती तुलसीबाई रतनचंद राउमावि इटन्द्रा मेडतियान (221413) जिला पाली का स्थानान्तरण राउमावि छोटी छापरी, मोलासर, जिला नागौर किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री कपिल कुमार द्वारा माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 5124/2021 कपिल कुमार बनाम राज. राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.11.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री कपिल कुमार के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है जिसके फलस्वरूप राउमावि छोटी छापरी, मोलासर (219764) जिला नागौर में प्रधानाचार्य पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उक्त दोहरे पदस्थापन के निवारणार्थ शासन के पत्र क्रमांक पं.(17)शिक्षा-2/2022 दिनांक 23.06.2022 की अनुपालना में माननीय अधिकरण के अपील में पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अन्तर्गत श्री कपिल कुमार, राउमावि छोटी छापरी, मोलासर (219764) जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर उद्घाटित पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित श्री सज्जन सिंह कुल्हार, प्रधानाचार्य का सम्मोजन/पदस्थापन SMT. TULSI BAL RATANCHAND GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ITANDARA MERTIYAN (221413) PALI में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/कपिल कुमार/5124/2021

दिनांक: 18-07-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक,
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)